संख्या-13/34/90-का-1/1994

प्रेषक,

आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 1994

विषय :- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

उपरोक्त विषय सहित पदोन्नतियों में अपनाये जाने वाले चयन मापदण्ड के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित शासनादेश/नियम जारी किए गए हैं :-

(1) शासनादेश संख्या-13/34/90(1)-का-1/1994,
दिनांक 10 अक्टूबर, 1994
(2) शासनादेश संख्या-13/34/90(2)-का-1/1994,
दिनांक 10 अक्टूबर, 1994
(3) नियमावली-अधिसूचना सं0-13/34/90(3)-का-1/1994,
दिनांक 10 अक्टूबर, 1994

2- उपरोक्त शासनादेशों/नियम के निम्नलिखित प्रमुख प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) संलग्न संगत शासनादेश द्वारा पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों का आरक्षण प्रतिशत 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः तात्कालिक प्रभाव से पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत व अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया जाय।

(2) संलग्न संगत शासनादेश द्वारा पदोन्नतियों हेतु रोस्टर लागू किया गया है। यह अनवरत रूप से चलता रहेगा।

(3) पदोन्नतियों द्वारा भर्ती के लिए संलग्न अधिसूचना द्वारा चयन मापदण्ड का निर्धारण किया गया है। उक्त के अनुसार विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद जिसके वेतनमान का अधिकतम रु0 6700/- या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर की जायेगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शीर्ष पदों जिसमें ऐसा पद जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

3- कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव।

संख्या-।3/34/90-का-।/।994, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

(।) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सभी सम्बन्धित बोर्डों/निगमों/निकायों आदि में उपरोक्त शासनादेश को लागू कराने के अनुरोध सहित।
(3) प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं में और पदों में उपरोक्त शासनादेश को लागू कराने के अनुरोध सहित।
(4) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त शासनादेश को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।
(5) प्रमुख सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त शासनादेश लागू कराने के अनुरोध सहित।
(6) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) प्रदेश के समस्त विद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।
(8) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ।
(9) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0।
(।0) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(।।) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
(।2) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।
(।3) समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नंगरपालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।
(।4) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(।5) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।
(।6) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(।7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(18) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(19) निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(20) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(21) समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव।

संख्या: 13/34/90-(1)का0-1/94

प्रेषक,

आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 1994

विषय :- पदोन्नति में लागू अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया जाना।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3 की उपधारा (7) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है :-

"(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखन्डित न कर दिया जाये।"

2- उपरोक्त धारा के अधीन सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा संगत शासनादेश को उपान्तरित करते हुए पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिये 18 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 21 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार पदोन्नति में निम्नलिखित आरक्षण लागू होगा :-

(1) अनुसूचित जाति के लिये	21 प्रतिशत
(2) अनुसूचित जनजाति के लिये	2 प्रतिशत

3- कृपया तात्कालिक प्रभाव से इस विषय पर पूर्व व्यवस्था को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव।

संख्या-13/34/90(1)-का-1/1994, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सभी सम्बन्धित बोर्डों/निगमों/निकायों आदि में उपरोक्त शासनादेश को लागू कराने के अनुरोध सहित।
(3) प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू कराने के अनुरोध सहित।
(4) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त रोस्टर को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित।
(5) प्रमुख सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
(6) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) प्रदेश के समस्त विद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।
(8) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ।
(9) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0।
(10) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(11) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
(12) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ।
(13) समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश।
(14) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ।
(15) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।

(16) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(17) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(18) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(19) निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

(20) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(21) समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
आर0 बी0 भाष्कर,
सचिव।